छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा नवम् सत्र अंक-15

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2012

(चैत्र-8, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07, 09, 19 एवं 21 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

2. बहिष्कार

तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान श्री धर्मजीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिष्कार किया ।

3. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

प्रश्न संख्या 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 एवं 25 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री जयसिंह अग्रवाल, (डॉ.) शक्राजीत नायक, रामदेव राम, टी.एस.सिंहदेव, राजकमल सिंघानिया, हृदयराम राठिया, चैतराम साहू, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री रामपुकार सिह, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, रविन्द्र चौबे, अमरजीत भगत, अजीत जोगी, भजन सिंह निरंकारी एवं अग्नि चंद्राकर अनुपस्थित रहे।

प्रश्नों का प्रथम चक्र पूरा होने पर माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुपस्थित सदस्यों के नाम द्वितीय चक्र में पुकारे गये। प्रथम चक के अनुपस्थित सदस्य द्वितीय चक में भी अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 20 तारांकित एवं 39 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

सदस्यों के अनुपस्थित रहने के कारण सदन की कार्यवाही 11.47 बजे स्थगित की जाकर 12.25 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

4. पृच्छा

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा आसंदी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए सभा की कार्यवाही में हुए गतिरोध के लिए खेद व्यक्त किया गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्यमंत्री ने आसंदी के प्रति सम्मान व्यक्त करने हुए मामले का पटाक्षेप किये जाने हेतु आसंदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री चंद्रशेखर साहू कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट **पटल पर रखी।**

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री नंदकुमार पटेल, मोहम्मद अकबर, सदस्य ने कोरबा जिलांतर्गत लैंको पावर प्लांट विस्तार हेतु पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों से मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 1 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

8. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - प्रश्न क्रमांक 6 पर चर्चा के दौरान आसंदी के प्रति कही गई असंसदीय शब्दावली को कार्यवाही से विलोपित कर दिया गया है ।

9. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य ने कोरिया जिले में बहुउद्देशीय (पुरूष) स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

10. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री परेश बागबाहरा

(3) श्री मोहम्मद अकबर

(4) श्री दूजराम बौद्ध

(5) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर

11. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री राजू सिंह ठाकुर, सभापति ने याचिका समिति का सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम

(2) श्री बैदूराम कश्यप

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012)

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012) पुर:स्थापित किया।

14. वर्ष 2012-2013 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के विभाग की अनुदान मांगों की पुनर्ग्रहित चर्चा में (श्री दूजराम बौद्ध-अनुपस्थित) श्री विरेन्द्र कुमार साहू ने चर्चा प्रारंभ की ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भीमा मंडावी, लखमा कवासी, परेश बागबाहरा।

श्री हेमचंद यादव, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 15, आदिम जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 33, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 49, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 64, पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित मांग संख्या 66, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 68, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 82, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 83 एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या 20 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-15 पर डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-33 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं श्रीमती अंबिका मरकाम **मांग संख्या-41 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-64 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-20 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर एवं श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री बोधराम कंवर

(सभापति महोदय (श्री ताम्रध्वज साहू) पीठासीन हुए।)

मानननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि - सभा द्वारा निर्धारित किये गये समय अनुसार माननीय आदिम जाति विकास मंत्री जी के विभागों की मांगों के लिये 2 घंटे एवं एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की मांगों के लिये 3 घंटे का समय निर्धारित है। दोनों के विभागों पर चर्चा आज ही पूर्ण की जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी मांगों पर कल माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बातें रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर होगा।

अतः यह निर्धारित किया गया है कि दोनों पक्षों के प्रथम वक्ता 20-20 मिनट में अपनी बात रखें एवं शेष सदस्य अधिकतम 10 मिनट में अपनी आवश्यक बातें रखें।

सदस्यों से कार्यवाही के संचालन में सहयोग अपेक्षित है।

डॉ.सुभाऊ कश्यप, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, लखमा कवासी, श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवराज सिंह उसारे, सेवकराम नेताम,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(श्री अग्नि चंद्राकर-अनुपस्थित), सर्वश्री ह्दयराम राठिया, बैदूराम कश्यप, (डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी-अनुपस्थित), देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री रामदयाल उईके।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 2, वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 6, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 31, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 60, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 12, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 25, जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 32, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित मांग संख्या 71, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या 65 एवं तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान से संबंधित मांग संख्या 48 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-1 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, श्रीमती अंबिका मरकाम **मांग संख्या-2 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-6 पर** श्री रविन्द्र चौबे एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-31 पर** श्री रविन्द्र चौबे **मांग संख्या-12 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-25 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-65 पर** डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, नारायण चंदेल, शिवराज सिंह उसारे,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

श्री दीपक कुमार पटेल, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री देवजी पटेल, (लखमा कवासी, (डॉ.)सुभाऊ कश्यप-अनुपस्थित), श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री विरेन्द्र कुमार साहू,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

(श्री मोहम्मद अकबर-अनुपस्थित), डॉ. शिवकुमार डहरिया, श्री सौरभ सिंह, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी,

श्री धर्मजीत सिंह।

रात्रि 10.36 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 29 मार्च, 2012 (चैत्र 9, शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा